FORM NO. III

(2020/00118)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

गिर्राज तिवाडी निवासी फूटाकोट, भट्टों की गली, करौली तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी, करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 63/2020 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 26.10.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.10. 2020	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी, करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण अपीलाण्ट ने यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी, करौली द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के साथ आवेदन की प्रति, आवेदन संबंधित को भेजने का प्रमाण, आवेदन शुल्क का प्रमाण आदि दो प्रतियों में अपील के साथ संलग्न नही किये है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	1327 29.10.2020